उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

बनाम

चौधरी रणबीर सिंह व अन्य

(सिविल अपील सं. 1272/2002)

10 मार्च, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत, सी. के. ठक्कर और लोकेश्वर सिंह पंता, जे.जे.]

न्यायिक हस्तक्षेप-नीतिगत निर्णय के साथ - का दायरा- प्रतिपादित किया गयाः ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप बेहद सीमित है- ऐसे मामले यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, भले ही दूसरा दृष्टिकोण संभव हो।

नए जिले के निर्माण को उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने अन्य जिले के सृजन को चुनौती देने वाली रिट याचिका (जिसमें सृजन पर पुनर्विचार का आदेश दिया गया था) में पारित आदेश के आधार पर रिट याचिका का निपटारा कर दिया। इसके बाद, राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने सृजन के आदेश की पुष्टि की।

न्यायालय में अपील में, राज्य ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय को नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

न्यायालय ने अपील का निपटारा करते हुए यह प्रतिपादित कियाः

नीतिगत निर्णयों के मामलों में, हस्तक्षेप का दायरा बेहद सीमित है। नीतिगत निर्णय सरकार पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहीं विभिन्न कोणों से प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने के बाद यह तय कर सकती है कि कौनसी नीति अपनाई जानी चाहिए। नीतिगत निर्णयों के मामले में या सरकार द्वारा विवेक के प्रयोग के मामले में जब तक कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं दिखाया जाता है, तब तक न्यायालयों के पास हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं होगा और न्यायालय ऐसे मामलों में कार्यपालिका के निर्णय के स्थान पर अपने निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं करेगा र न ही करना चाहिए। सरकार के किसी निर्णय के औचित्य का आकलन करने में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, भले ही सरकार की और से दूसरा दृष्टिकोण संभव हो। [पैरा 12] [615-बी, सी, डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 1272/2002

सिविल विविध रिट याचिका संख्या 9085/1999 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 12-04-1999 से।

शैल कुमार द्विवेदी, ए.ए.जी.,मनोज के. द्विवेदी, वंदना और गुन्नम वेंकटेश्वर राव अपीलार्थीगण की और से।

जितेंद्र मोहन शर्मा और विनय गर्ग उत्तरदाताओ की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा दिया गया।

1. इस अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई। विवाद उत्तर प्रदेश राज्य के एक नए जिले यानी बागपत के निर्माण से संबंधित है।

2. आक्षेपित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा इस प्रकार कियाः

> "डब्ल्यू. पी. सं. 5004/1999 मोहम्मद. तारिक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश के दृष्टिगत इस याचिका में किसी अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं है। याचिका का निपटारा किया जाता है।"

3. चूंकि आदेश व्यावहारिक रूप से अनुचित है, इसलिए तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर ध्यान देना आवश्यक है। दिनांक 15-09-1997 को उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 11 सपठित उत्तर प्रदेश सामान्य खंड अधिनियम, 1904 (संक्षेप में सामान्य खंड अधिनियम) की धारा 21 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी। राज्यपाल ने अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से बागपत के नाम से एक नए जिले के निर्माण का निर्देश दिया था। उक्त अधिसूचना को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका नंबर 9085/1999 दायर की गई। जहां मूलतः दो प्रार्थनाएं थी, एक अधिसूचना दिनांकित 15-09-1997 को रद्द करने की और दूसरी बागपत जिले को जारी रखने की अनुमति ना देने की। एक रिट याचिका सिविल विविध संख्या 39756/1998 दायर की गई थी, जिसमें एक नए जिले "संत कबीर नगर" के निर्माण को राम मिलन शुक्ला व अन्य में चुनौती दी गई थी। आदेश दिनांक 15-01-1999 द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अधिसूचना दिनांकित 09-11-1998 को रद्द किया तथा निर्देश दिया कि नए सिरे से विचार करें। निर्णय का आॅपरेटिव भाग इस प्रकार हैः-

> "मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, हम इस याचिका को स्वीकार करते हैं, आदेश दिनांकित 09-11-1998 को रद्द करते हैं और राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि मामले पर पुनर्विचार करें और निर्णय लेवे कि क्या दिनांक 05-09-1997 को संत कबीर जिले के निर्माण के लिए जारी अधिसूचना को

जारी करने के लिए कोई अच्छा प्रशासनिक और वित्तीय आधार था। यदि राज्य सरकार फिर से संत कबीर नगर और पिछली सरकार द्वारा बनाये गये अन्य जिलों को जारी रखने का निर्णय लेती है तो उसे इस उद्देश्य के लिए राज्य विधानमंडल में एक विधेयक पेश करना होगा। जब तक ऐसा कोई विधेयक पेश और पारित नहीं किया जाता तब तक अधिसूचना दिनांकित 05-09-1997 स्थगित रहेगी।"

4. एसएलपी (सी) सं. सीसी 1384/1999 में मामला इस न्यायालय के समक्ष आया था और न्यायालय ने आदेश दिनांक 26-03-1999 के द्वारा यह कहते हुए एसएलपी को खारिज किः-

"एसएलपी दायर करने की अनुमति विशेष अनुमति याचिका में दी गई..... (सीसी 1364/99) उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित फैसले में बताए गये तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अनुच्छेद 136 के तहत किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जाती हैं।"

5. सिविल विविध रिट याचिका संख्या 9085/1999 जिससे वर्तमान विवाद संबंधित है, में प्रति शपथ पत्र दिनांक 16-03-1999 को दायर किया गया था। एक अन्य सिविल विविध रिट याचिका नंबर 5004/1999 उच्च न्यायालय के समक्ष कौसांबी जिले के निर्माण को चुनौती देते हुए दायर हुई थी। उक्त रिट याचिका का निपटारा उपर उल्लिखित राम मिलन शुक्ला के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में दिनांक 12-04-1999 के आदेश द्वारा किया गया था।

6. राज्य के विद्वान महाधिवक्ता ने रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा राममिलन शुक्ला के

मामले में दिये गये आदेशों की सरकार पालना करेगी। आगे कहा गया कि कुछ जिलों के संबंध में बजटीय प्रावधान किय गये हैं और बजट पेश और पारित किया गया है। आगे यह भी कहा गया कि पिछली सरकार द्वारा बनाये गये कुछ जिलों को बरकरार रखा जा रहा है जबकि अन्य को नहीं।

7. खंड पीठ ने यह कहा कि उक्त मामले के तथ्य दिनांक 15-01-1999 को राम मिलन के मामले में खंड पीठ द्वारा पारित फैसले में शामिल थे। हालांकि उच्च न्यायालय ने कुछ टिप्पणीयां की, जो हमें लगता है कि रिट याचिका पर विचार करते समय की जानी आवश्यक नहीं थी। वे इलाहाबाद में रहने वाले जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक और जिले के अन्य अधिकारियों से संबंधित थे और यह भी देखा गया कि संत कबीर नगर के अधिकारियों के मामले में भी यही स्थिति थी। ये टिप्पणीयां अधिकारी को कहा रहना चाहिए इस बाबत् थी और इसी तरह की अन्य टिप्पणीयों की वास्तव में कोई प्रासंगिकता नहीं थी। जब रिट याचिका, जिससे यह मामला संबंधित है यानी सिविल विविध रिट याचिका संख्या 1985/1999 पर सुनवाई की गई तो जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है उच्च न्यायालय ने मोहन तारीक के मामले यानी रिट याचिका संख्या 5004/1999 के संदर्भ में इसका निपटारा कर दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि दिनांक 07-01-2000 को राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित निर्णय लियेः-

> "मुख्य सचिव और केबिनेट सचिव की और से जारी संयुक्त सचिव (गोपनीय) के मूल पत्र दिनांक 10-01-2000 में निहित केबिनेट निर्णय दिनांक 07-01-2000 में कहा गया है किः
>
> मंत्रिमंडल ने अपनी दिनांक 10-01-2000 की बैठक में चर्चा के बाद निर्णय लिया कि वर्ष 1997 में बनाये गये नये जिलों औरर संभागों को वैसे ही

जारी रखा जाएगा और उनके संबंध में अध्यादेश/ विधेयक लाने के संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।"

8. ऐसा प्रतीत होता है कि पहले एक अवमानना याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी जो कि सी. एम. डब्ल्यू. पी. सं. 39756/1998 में अवमानना याचिका संख्या 1449/1999 है, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणीयों के साथ निपटाया गया थाः-

"उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग, लखनउ के सचिव अजीत कुमार साहू द्वारा दिनांक 13-03-2002 को दायर पूरक जवाबी हलफनामे में कहा गया कि इस न्यायालय के फैसले के अनुसरण में मंत्रिमंडल ने आम जनता की सुविधाओ के साथ-साथ उपयोगिता, व्यवहार्यता और व्यय पर विचार के संबंध में राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया जिसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 1997 में गठित और स्थापित किये गये नये जिलों और कमिश्नरी को यथावत रखा जाएगा और जारी रखा जाएगा। मंत्रिमंडल का दिनांक 07-01-2000 को प्रसारित फैसला, पूरक जवाबी हलफनामे के अनुलगन्क एस.सी.ए-द्वितीय के रूप में पेश किया गया है। यह पूरक जवाबी हलफनामा भी है यह भी कहा गया है कि उप-समिति की रिपोर्ट के आधार पर मंत्रिमंडल के निर्णय और नियमित वार्षिक वित्तीय विवरण बजट विनियोग विधेयक को पारित करके आदेश दिनांक 15-01-1999 की पालना हो चुकी है।

इस प्रकार, पूरक जवाबी हलफनामे में किये गये अभिवचनों के मद्देनजर न्यायालय अवमानना कार्यवाही में आगे बढ़ने का इच्छुक नहीं है। पूर्व में

जारी नोटिस को खारिज किया जाता है और अवमानना खारिज की जाती है।"

9. अपीलार्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है। जिला/राज्य के निर्माण जैसे नीतिगत-निर्णय के मामलों में उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था और वह भी पूरी तरह से अप्रासंगिक आधारों पर। जहां तक राम मिलन के मामले की बात है तो उस मामले में इस न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया था क्योंकि उसमें पुनः विचार करने का निर्देश था। पुनः विचार किया गया तथा दिनांक 07-01-2000 को मंत्रिमंडल का निर्णय लिया गया।

10. उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि एक जिले का निर्माण नियमित तरीके से नहीं किया जाना चाहिए और उच्च न्यायालय ने कई कारकों पर सही ढंग से ध्यान दिया है।

11. राम मिलन के मामले में उच्च न्यायालय ने पुनर्विचार करने के निर्देश दिये थे, जो जाहिरा तौर पर वैसे ही किया गया है जैसा कि मंत्रिमंडल के निर्णय से स्पष्ट है।

12. मंत्रिमंडल का फैसला लगभग आठ साल पहले लिया गया था और सक्रिय प्रतीत होता है। ऐसा होने पर पुनर्विचार का निर्देश देने की कोई गुंजाइश नहीं है जैसा कि राम मिलन के मामले में किया गया था, हालांकि उत्तरदाताओ के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि ऐसा निर्देश दिया जाना चाहिए। जैसा कि राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने सही तर्क दिया कि, नीतिगत निर्णयों के मामले में हस्तक्षेप का दायरा बेहद सीमित है। नीतिगत निर्णय सरकार पर छोड देना चाहिए क्योंकि विभिन्न दृष्टिकोणों से सभी प्रसांगिक पहलुओ पर विचार करने के बाद केवल वही निर्णय ले सकती है कि कौन सी नीति अपनाई जानी चाहिए। नीतिगत निर्णयों या सरकार द्वारा विवेक के प्रयोग के

मामले में जब तक मौलिक अधिकार का उल्लंघन न दिखाया जाए, न्यायालयों के पास हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं होगा और न्यायालय ऐसे मामलों में कार्यपालिका के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय नहीं देगा और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार के किसी निर्णय के औचित्य का आकलन करने में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, भले ही सरकार की ओर से दूसरा दृष्टिकोण संभव हो।

13. तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।

के. के. टी. अपील निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्वेता अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।